

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी - रणछोड़ लाल, आर.ए.ए.स

राजस्व आवेदन सं. 38/2025

अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

अमरुत बनाम थानाराम व अन्य

प्रार्थीगण वकील - श्री आईदानराम गोदारा

विप्रार्थीगण वकील - एकतरफा

निर्णय


दिनांक - 14.11.2025

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि उसकी खातेदारी का खेत मौजा लीलसर में खसरा सं. 81 रकबा 9.9957 हैक्टेयर व मौजा सियागपुरा में खसरा सं. 143, 150 रकबा कमश: 6.5235, 6.5316 हैक्टेयर व मौजा शेरपुरा में खसरा संख्या 45,46,47,55 रकबा कमश: 0.1942, 0.3237, 20.1371, 35.0294 हैक्टेयर पटवार क्षेत्र लीलसर तहसील चौहटन में स्थित है। प्रार्थीगण के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज की। विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/रजि.नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थीगण वकील की एकतरफा बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। चूंकि प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि मौजा लीलसर में खसरा सं. 81 रकबा 9.9957 हैक्टेयर व मौजा सियागपुरा में खसरा सं. 143, 150 रकबा कमश: 6.5235, 6.5316 हैक्टेयर व मौजा शेरपुरा में खसरा संख्या 45,46,47,55 रकबा कमश: 0.1942, 0.3237, 20.1371, 35.0294 हैक्टेयर पटवार क्षेत्र लीलसर तहसील चौहटन की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार चौहटन को रूपये 500/- फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि दोनों पक्षों के रूबरू विधिसम्मत तरीके से नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो। कमीश्नर को कमीश्नर फीस प्रार्थीनी मौके पर अदा करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2025 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर हो।


(रणछोड़ लाल)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन